

सेवा में,

अध्यक्ष महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ,

प्रान्तीय कार्यालय- जवाहर भवन, लखनऊ।

विषय :- उत्तर प्रदेश के राजकीय विभागों में कार्यरत कनिष्ठ सहायक संवर्ग की दशकों की वेतन विसंगति दूर करते हुए प्रारंभिक ग्रेड पे ₹2800/वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों, निदेशालयों, कार्यालयों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत **कनिष्ठ सहायक संवर्ग शासकीय कार्यालयों की प्रशासनिक एवं लिपिकीय व्यवस्था की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी** है। शासन एवं प्रशासन के दैनिक शासकीय कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने में कनिष्ठ सहायकों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।

कनिष्ठ सहायकों द्वारा कार्यालयों में पत्रावलियों का रख-रखाव एवं निस्तारण, शासकीय पत्राचार, पत्र एवं विवरण तैयार करना, अभिलेखों का संधारण, शासनादेशों एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों का अनुपालन, कंप्यूटर संबंधी कार्य, विभिन्न शासकीय पोर्टलों पर कार्य, ई-ऑफिस से संबंधित कार्य तथा अन्य अनेक कार्यालयीय एवं प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन किया जाता है।

वर्तमान समय में शासकीय कार्यालयों की कार्यप्रणाली में व्यापक परिवर्तन हुआ है। अधिकांश कार्य कंप्यूटर एवं ऑनलाइन माध्यम से संपादित किए जा रहे हैं। ई-ऑफिस, विभागीय पोर्टल, डिजिटल अभिलेख, ऑनलाइन पत्राचार एवं विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के संचालन के कारण कनिष्ठ सहायक के कार्यों की प्रकृति एवं जिम्मेदारियां पहले की अपेक्षा काफी बढ़ गई हैं। इसके बावजूद **कनिष्ठ सहायक पद का प्रारंभिक वेतनमान ग्रेड पे ₹2000 एवं वेतन मैट्रिक्स लेवल-3** निर्धारित है, जबकि समान अथवा सन्निकट प्रकृति के अनेक लिपिकीय एवं कार्यालयीय पदों को इससे अधिक वेतनमान प्राप्त हो रहा है। यह स्थिति कनिष्ठ सहायक संवर्ग की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगति का विषय है।

• समान एवं सन्निकट पदों के वेतनमान से तुलना :-

महोदय, कनिष्ठ सहायक के वेतनमान पर पुनर्विचार की आवश्यकता इस तथ्य से भी स्पष्ट होती है कि विभिन्न शासकीय सेवाओं में समान अथवा सन्निकट प्रकृति के कार्यालयीय पदों को उच्चतर वेतनमान प्रदान किया गया है तथा कार्यालय के अन्य समस्त लिपिकीय संवर्ग के पदों की अपेक्षा सबसे न्यूनतम वेतनमान कनिष्ठ सहायकों का ही है जबकि कार्य, जिम्मेदारी एवं शैक्षणिक अहर्ता समान है। विशेष रूप से **आशुलिपिक के पद** का उदाहरण उल्लेखनीय है। विभिन्न सेवा नियमों/भर्ती व्यवस्थाओं में आशुलिपिक पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर, टंकण एवं आशुलिपि जैसी दक्षता निर्धारित है तथा उक्त पद को ₹2800 ग्रेड पे/वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 के समकक्ष वेतन संरचना प्राप्त रही है।



वहीं दूसरी ओर कनिष्ठ सहायक पद पर भी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट के साथ कंप्यूटर का CCC कोर्स एवं टंकण संबंधी दक्षता अपेक्षित है तथा कार्यालयों में व्यवहारिक रूप से कंप्यूटर आधारित अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं लिपिकीय कार्य कनिष्ठ सहायकों द्वारा ही संपादित किए जाते हैं। इस प्रकार **शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति की प्रकृति, कंप्यूटर एवं तकनीकी दक्षता, कार्यालयीय कार्यों की प्रकृति, कार्यभार तथा उत्तरदायित्व** को समग्र रूप से देखते हुए कनिष्ठ सहायक एवं समान/सन्निकट लिपिकीय पदों के मध्य वर्तमान वेतन अंतर का पुनः परीक्षण किया जाना न्यायोचित एवं अति आवश्यक है।

• **रिक्त लिपिकीय पदों का अतिरिक्त कार्य भी कनिष्ठ सहायकों द्वारा :-**

महोदय, शासकीय कार्यालयों में विभिन्न कारणों से अनेक लिपिकीय पद समय-समय पर रिक्त रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कार्यालय की कार्यप्रणाली बाधित न हो, इसके लिए रिक्त पदों से संबंधित अनेक कार्यों का अतिरिक्त दायित्व भी व्यवहार में **कनिष्ठ सहायक संवर्ग के कार्मिकों द्वारा ही निर्वहन किया जाता है।** कनिष्ठ सहायक अपने पद से संबंधित नियमित कार्यों के अतिरिक्त पत्रावली तैयार करने एवं संचालित करने, पत्राचार, विभिन्न विवरण एवं रिपोर्ट तैयार करने, ऑनलाइन पोर्टलों पर सूचनाएं उपलब्ध कराने, अभिलेखों के रख-रखाव तथा अन्य कार्यालयीय कार्यों को भी पूरा करते हैं। इस प्रकार कार्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधन की कमी के कारण उत्पन्न अतिरिक्त कार्यभार का महत्वपूर्ण हिस्सा भी कनिष्ठ सहायक संवर्ग द्वारा वहन किया जाता है। इसके बावजूद इस संवर्ग का प्रारंभिक वेतनमान तृतीय श्रेणी के समान/सन्निकट पदों की तुलना में निम्न स्तर पर होना अत्यंत विचारणीय है।

• **लंबे समय से लंबित वेतन विसंगति**

महोदय, शासन द्वारा समय-समय पर विभिन्न संवर्गों की सेवा परिस्थितियों, कार्य-दायित्व एवं वेतन संरचना की समीक्षा करते हुए वेतनमानों में संशोधन एवं विभिन्न वेतन विसंगतियों का निराकरण किया जाता रहा है। परंतु **कनिष्ठ सहायक संवर्ग की प्रारंभिक ग्रेड पे ₹2000 से संबंधित वेतन विसंगति का अपेक्षित एवं न्यायसंगत समाधान अभी तक नहीं हो पाया है।** कनिष्ठ सहायक संवर्ग द्वारा लंबे समय से यह अपेक्षा की जाती रही है कि उनके पद की वर्तमान कार्य-प्रकृति, बढ़ते हुए प्रशासनिक दायित्व, तकनीकी कार्यों में बढ़ती भूमिका तथा समान प्रकृति के अन्य पदों को प्राप्त वेतनमान को ध्यान में रखते हुए उनके वेतनमान की भी समीक्षा की जाए। यह मांग किसी प्रकार की अतिरिक्त सुविधा की अपेक्षा मात्र न होकर **समान कार्य-प्रकृति एवं उत्तरदायित्व वाले पदों के बीच विद्यमान वेतन असमानता को दूर करने की न्यायोचित मांग है।**

• **वेतनमान के पुनरीक्षण की आवश्यकता**

कनिष्ठ सहायक वर्तमान में शासकीय कार्यालयों में प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कार्यालयों में कर्मचारियों की कमी, रिक्त लिपिकीय पदों तथा बढ़ते हुए ऑनलाइन एवं डिजिटल कार्यों के कारण इस संवर्ग के कार्य एवं दायित्व निरंतर बढ़े हैं।

(3)

ऐसी स्थिति में कनिष्ठ सहायक पद की शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, कंप्यूटर एवं तकनीकी दक्षता, कार्य की प्रकृति, कार्यभार, उत्तरदायित्व तथा समान/सन्निकट पदों जैसे आशुलिपिक, के वर्तमान वेतनमान का तुलनात्मक एवं समग्र परीक्षण कराया जाना आवश्यक है। इस परीक्षण के आधार पर कनिष्ठ सहायक संवर्ग की लंबे समय से लंबित वेतन विसंगति को दूर करते हुए वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रारंभिक ग्रेड पे 2800/लेवल-5 प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि लिपिक संवर्ग के कनिष्ठ सहायक पद की लंबे समय से लंबित वेतन विसंगति को न्यायोचित रूप से दूर करते हुए, उत्तर प्रदेश में कनिष्ठ सहायकों का प्रारंभिक ग्रेड पे ₹2800/वेतन मैट्रिक्स लेवल-5 स्वीकृत कराए जाने हेतु महासंघ स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक- 26 अगस्त 2026

प्रार्थी



(बासू पाण्डेय)

महासचिव

प्रान्तीय होम्योपैथिक तृतीय श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ, उ०प्र०, लखनऊ।
(संघ की संबद्धता- उ०प्र० राज्य कर्मचारी महासंघ, जवाहर भवन, लखनऊ।)